



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072025-264602
CG-DL-E-12072025-264602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3100]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947

No. 3100]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3170(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2178 तारीख 15/05/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में ग्रीनफील्ड हाईवे रामपुर का पश्चिमी किनारा-रूद्रपुर खंड में रामपुर शहर को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को राष्ट्रीय राजमार्ग -87 से जोड़ते हुए किमी. 5.8 से कि.मी. 16.9 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/ चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18.05.2025 " को "दि टाइम्स आफ इण्डिया " और "अमर उजाला " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम अधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में ग्रीनफील्ड हाईवे रामपुर का पश्चिमी किनारा-रूद्रपुर खंड में रामपुर शहर को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को राष्ट्रीय राजमार्ग-87 से जोड़ते हुए किमी. 5.8 से किमी 16.9 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: रामपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रामपुर (सदर)					
गांव का नाम: कोयला					
1	667	निजी	एग्रीकल्चर	0.044	जमीर अहमद/कदीर अहमद, श्रीमती शायरा/सगीर अहमद 667
2	674	निजी	एग्रीकल्चर	0.0346	नवाव दूला खां/अब्दुल वाहिद खां। 674
गांव का नाम: सैजनी नानकार					
3	513	निजी	एग्रीकल्चर	0.135	मकसूद अली खां/मोहम्मद अली खां उर्फ तल्लन खां, महफूज अली खां/मोहम्मद अली खां

					उर्फ तल्लन खां। 513
4	514	निजी	एग्रीकल्चर	0.144	इब्राहीम/साविर खां, नवीरजा/साविर खां, वसीम खां/आबिद खां। 514
5	691/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.274	मकसूद अली खां/मोहव्वत अली खां उर्फ तल्लन खां, महफूज अली खां/मोहव्वत अली खां उर्फ तल्लन खां। 691/1
6	691/2	सरकारी	चकमार्ग	0.026	चकमार्ग 691/2
गांव का नाम: डुगरपुर					
7	474	निजी	एग्रीकल्चर	0.1447	नरायन दास/तोला। 474
Total				0.8023	

[फा. सं11020/1/2021/PIU-MBD/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

S.O. 3170(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 2178 Dated 15/05/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Greenfield Highway of Western side spur of Rampur Rudrapur connecting NH-24 to NH-87 bypassing Rampur town in the stretch of land from Km. 5.8 to Km. 16.9 in the district of RAMPUR in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “*The Times of India*” and “*Amar Ujala*” both dated 18.05.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person, by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling in Western side spur of Rampur Rudrapur connecting NH-24 to NH-87 bypassing Rampur town in the stretch of land from Km. 5.8 to Km. 16.9 in the district of RAMPUR in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: RAMPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Rampur (Sadar)					
Village: Koyla					
1	667	Private	agriculture	0.044	Jamer Ahmad/Qadeer Ahmad, Smt. Shayra/Sageer Ahmad. 667
2	674	Private	agriculture	0.0346	Nawav Dula Khan /Abdul Vaheed Khan 674
Village: Saijni Nankar					
3	513	Private	agriculture	0.135	Maksood Ali Khan/Mohbbat Ali Khan urf Tallan Khan, Mehfooj Ali Khan/ Mohbbt Ali Khan urf Tallan Khan. 513
4	514	Private	agriculture	0.144	Ibrahim/Sabir Khan, Naviraja/ Sabir Khan, Waseem Khan/Abid Khan. 514
5	691/1	Private	agriculture	0.274	Maksood Ali Khan/Mohbbat Alin Khan urf Tallan Khan, Mehfooj Ali Khan/ Mohbbat Alin Khan urf Tallan Khan 691/1
6	691/2	Government	Chakmarg	0.026	Chakmarg 691/2

Village: Dungarpur					
7	474	Private	agriculture	0.1447	Narayan Das/Tola 474
Total				0.8023	

[F. No. 11020/1/2021/PIU-MBD/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director